न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/271

सोसर बाई पुत्री छोगा पत्नी स्व0 अणदी लाल जाति मीणा निवासी खेडली धाकडान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. किशन चन्द पुत्र छोगा लाल
2. धन्ना लाल पुत्र छोगा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी के शामलाती खाते में कुल 05 किता की 6.29 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा है और इसी अनुसार वे काबिज काश्त हैं । इसी प्रकार ग्राम काला रेवा तहसील दीगोद में कुल 02 किता की 1.37 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा है और इसी अनुसार वे काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह

अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर उसे प्राप्त होने वाली भूमि पृथक खाते दर्ज करवा कर पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे व लगान अलग से कायम किया जावे । प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे तथा उक्त भूमि में वादी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 06.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट भी खातेदार है उक्त भूमि पर उसका भी कब्जा काश्त है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट संभाग से खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की अपीलान्ट को जानकारी समय पर नहीं हुई क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.07.2018 को तहसीलदार, दीगोद के यहॉ अपने हिस्से की रिलीज डीड कराने जाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में संभाग से खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट हितबद्ध

पक्षकार है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित निहित होना बताया है तथा वादग्रस्त आराजी में संभाग से खातेदार होने का भी कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार है उसको पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया है और दावा डिक्री किया गया है जिससे अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं जो पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं जिसमें पुत्र के रहते हुए पुत्री को कोई अधिकार पिता की सम्पत्ति प्राप्त नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी किशन चन्द्र द्वारा प्रतिवादी धन्ना लाल को पक्षकार बनाकर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार नया खाता संख्या 25 में कुल 05 किता की 6.29 हैक्टर भूमि किशनचन्द्र, धन्ना लाल पुत्र छोगा के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 13 में कुल 02 किता की रकबा 1.37 हैक्टर आराजी किशनचन्द्र, धनपाल पुत्र छोगा सोसरबाई पुत्री छोगा के खाते में दर्ज है । इस प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 13 में सोसर बाई अपीलान्ट सहखातेदार दर्ज है परन्तु उन्हें वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.06.2016 को लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । राजस्व रिकॉर्ड में नया खाता संख्या 13 में सोसरबाई का नाम भी अंकित है और सोसर बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा अपील में जो कथन किये जा रहे हैं कि पक्षकार पुरानी हिन्दू विधि शासित है इसलिए अपीलान्ट का कोई हक नहीं बनता है परन्तु ऐसा कथन उनके द्वारा दावे में नहीं किया गया है वरन् दावे की मद संख्या 2 में उस आराजी जिसमें सोसर बाई सहखातेदार दर्ज को भी अपने और प्रतिवादी के खाते में संभाग से दर्ज होना बताया है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा